

**स्थानान्तरण अधिनियम,2017 के अन्तर्गत कुमार्जं मण्डल के अन्तर्गत वाहन चालक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का दिनांक (31.05.2023 की स्थिति के अनुसार)
सुगम से दुर्गम हेतु पात्र कार्मिक**

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	पदस्थापना स्थान/	नियुक्ति तिथि	जन्मतिथि/गृह जनपद	कुल सेवा का विवरण			संस्था का चिन्हीकरण	वर्तमान संस्था पर योगदान की तिथि	वर्तमान संस्था पर सेवा अवधि	सुगम में कुल सेवा	दुर्गम में कुल सेवा	अधिनियम में दी गयी छूट में आते हैं अथवा नहीं
					संस्था का नाम	कब से	कब तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री जगदीश सिंह वाहन चालक	कार्यालय मुख्य प०चि०अ० उधमसिंह	02.06.05	25.06.1969/अल्मोड़ा	मु०प०चि०अ०-उ.सि.नगर	02.06.05	31.05.23	सुगम	02.06.05	17 वर्ष 11 माह	17 वर्ष 11 माह	-----	नहीं
2	श्री जय प्रकाश वाहन चालक	कार्यालय मुख्य प०चि०अ० नैनीताल	22.12.18	01.12.1981/नैनीताल	अ.नि०प०पा०वि.हल्द्वानी	22.12.18	31.05.23	सुगम	22.12.18	04 वर्ष 05 माह	04 वर्ष 05 माह	-----	नहीं
3	श्री हरि सिंह बोरा वाहन चालक	कार्यालय मुख्य प०चि०अ० अल्मोड़ा	22.12.18	20.05.1971/अल्मोड़ा	मु०प०चि०अ०-अल्मोड़ा	21.12.18	31.05.23	सुगम	21.12.18	04 वर्ष 05 माह	04 वर्ष 05 माह	-----	नहीं

**स्थानान्तरण अधिनियम,2017 के अन्तर्गत कुमार्जं मण्डल के अन्तर्गत वाहन चालक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का सेवा इतिहास (31.05.2023 की स्थिति के अनुसार)
दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक**

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	पदस्थापना स्थान/	नियुक्ति तिथि	जन्मतिथि/गृह जनपद	कुल सेवा का विवरण			संस्था का चिन्हीकरण	वर्तमान संस्था पर योगदान की तिथि	वर्तमान संस्था पर सेवा अवधि	सुगम में कुल सेवा	दुर्गम में कुल सेवा	अधिनियम में दी गयी छूट में आते हैं अथवा नहीं
					संस्था का नाम	कब से	कब तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री लक्ष्मण सिंह वाहन चालक	कार्यालय मुख्य प०चि०अ० पिथौरागढ़	25.08.04	18.06.1975/पिथौरागढ़	मु०प०चि०अ०-पिथौरागढ़	25.08.04	31.05.23	दुर्गम	25.08.04	18 वर्ष 09 माह	-----	23 वर्ष 01 माह	-----
2	श्री केदार सिंह वाहन चालक	कार्यालय मुख्य प०चि०अ० बागेश्वर	05.11.15	10.03.1976/बागेश्वर	मु०प०चि०अ०-बागेश्वर	05.11.15	31.05.23	दुर्गम	05.11.15	07 वर्ष 06 माह	-----	09 वर्ष 03 माह	-----

नोट:- जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर लेखा संवर्ग की पात्रता सूची में संकलित वर्ष 2023-24 हेतु स्थानान्तरण पात्रता सूची तैयार की गयी है यदि किसी कार्मिक के पात्रता सूची में भिन्नता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्यालय को अवगत करायें ताकि भिन्नता दूर की जा सकें।